

Passenger Train from Jalarpet to Arkonam

312. SHRI C. N. VISVANATHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the need for a passenger train from Jalarpet to Arkonam so as to cater to the needs of college students and other passengers and to link two big junctions; and

(b) if so, the particulars of action taken or proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). Introduction of a passenger train between Jolarpettai and Arakkonam has not been found feasible due to paucity of resources by way of Coaching stock and locomotives.

Resumption of Jalarpet-Bangalore Passenger Train

313. SHRI C. N. VISVANATHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Jalarpet-Bangalore passenger train which was stopped before emergency during Railway strike is proposed to be resumed;

(b) whether Government propose to improve Katpadi-Thiruvannamalai passenger service so as to serve a greater number of passengers; and

(c) if so, the particulars of action taken or proposed to be taken indicating the time bound programmes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) 313/314 Jolarpettai-Bangalore Passenger train which was cancelled during coal shortage and Railway strike has since been restored.

(b) 3 pairs of Passenger trains and 1 pair of Express trains running on Katpadi-Thiruvannamalai section serve the needs of passengers adequately.

(c) Does not arise.

बीकानेर में हंडक्वार्टर रेलवे अस्पताल

314. श्री सुभाष झाड़ा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर डिब्बीजन के हंडक्वार्टर रेलवे अस्पताल के कुछ मरीजों को अपना एक्सरे कराने के लिए जोधपुर के रेलवे अस्पताल में भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अन्य स्थानों पर भी ऐसे ही व्यवस्था की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जब किसी विशेष रेलवे अस्पताल की एक्स-रे मशीन खराब हो जाती है तब रोगियों को अपना एक्स-रे करवाने के लिए निकटतम रेलवे अस्पतालों में भेजा जाता है ।

राज्यों को पेंटाफीन मोम की सप्लाई

315. श्री सुभाष झाड़ा :

श्री यशवन्त शर्मा :

श्री फूस चन्द वर्मा :

श्री एन० के० शंजवलकर :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में राज्य

सरकारों को पैराफीन मोम की सप्लाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों में इसके वितरण की कसौटी क्या है ;

(ग) विभिन्न राज्यों को वर्षवार इसकी क्रमशः कितनी मात्रा में सप्लाई की गई; और

(घ) क्या उक्त मात्रा उन राज्यों की खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :

(क) जी, हां।

(ख) राज्यों को पैराफिन मोम का वार्षिक आवंटन किसी विशेष वर्ष में मोम की सम्भावित उपलब्धता तथा प्रत्येक राज्य की वास्तविक गत उठान के कार्य-निष्पादन के आधार पर किया जाता है।

(ग) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान राज्यों को किया गया पैराफिन मोम के आवंटन का विवरण संलग्न है।

(घ) असम आयल कंपनी की डिगबोई शोधनशाला देश में पैराफिन मोम के मुख्य उत्पादन के स्रोत हैं। क्योंकि पैराफिन मोम की मांग बढ़ रही है और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पैराफिन मोम की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से पैराफिन मोम का निर्यात जो वर्ष 1976 तक किया जा रहा था अब रोक दिया गया है।

देशीय उपलब्धता को और पूरक बनाने की दृष्टि से वर्ष 1977-78 की आयात नीति में संशोधन करके पैराफिन मोम के सारणीबद्ध आयात की व्यवस्था की गई है।

पैराफिन मोम का मद्रास तथा बरौनी शोधनशालाओं में उत्पादन हेतु मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड तथा इंडियन आयल कारपोरेशन में इस समय अध्ययन किया जा रहा है।

जब तक देश में पैराफिन मोम की उत्पादन क्षमता, मद्रास तथा बरौनी में प्रस्तावित, एकक की स्थापना करके नहीं बढ़ाई जाती ऐसी आशा की जाती है कि पैराफिन मोम का सारणीबद्ध आयात इसकी कमियों को दूर करेगा और वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए इसकी उपलब्धता में सुधार करेगा।

विवरण

(आंकड़े मी० टनों में)

राज्य	पैराफिन मोम का आवंटन		
	1975	1976	1977
1	2	3	4
1. महाराष्ट्र	10940		9529
2. गुजरात	1010	803	1103
3. मध्य प्रदेश	600	598	898
4. गोवा, दमन और दीव	100	138	213

1	2	3	4
5. पश्चिमी बंगाल	9300	8316	6316
6. बिहार	1488	1334	1034
7. उड़ीसा	552	506	581
8. अण्डेमान और निकोबार आईलैण्ड	20	18	18
9. दिल्ली	3205	2967	25295
10. उत्तर प्रदेश	3700	3235	3535
11. राजस्थान	700	598	898
12. हरयाणा	750	690	990
13. पंजाब	1500	1380	1380
14. हिमाचल प्रदेश	95	23	98
15. जम्मू और काश्मीर	100	92	167
16. चंडीगढ़ प्रशासन	70	64	139
17. आन्ध्र प्रदेश	1150	1060	1360
18. कर्नाटक	600	598	898
19. तमिलनाडू	7245	6587	6587
20. केरल	1350	1233	1533
21. पाण्डिचेरी	40	37	112
22. लक्ष द्वीप प्रशासन	10	9	5
23. दादर और नागर हवेली	40	37	37
24. असम	3000	2100	1250
25. मेघालय	200	50	125
26. नागालैंड	200	150	200
27. मनीपुर	100	150	225
28. त्रिपुरा	200	300	375
29. अरुणाचल प्रदेश	100	—	40
30. मिजोराम	125	—	40
31. सिक्किम	—	9	15